क्रम-संख्या 5

उत्तर प्रदेश सरकार
भाषा विभाग

सं0 525/इक्कीस–3 (19)–68
लखनऊ, 19 फरवरी, 1968

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1951) की धारा 2 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल राज्य के किसी भी राजकीय कार्य-व्यवहार के संबंध में, जिसके अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल का कार्य भी है, प्रयुक्त सभी प्रकार के टाइप किये गये या मुद्रित लेख्यों और लेखा से संबंधित लेख्यों में भी भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग किये जाने की अनुमति देते हैं।

आज्ञा से,
बिपिन बिहारी लाल,
मुख्य सचिव।

क्रम-संख्या 6

उत्तर प्रदेश शासन
भाषा विभाग

संख्या 2781/इक्कीस–3 (19)–68
लखनऊ, 17 मार्च, 1970

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1951) की धारा 2 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा सरकारी विज्ञप्ति संख्या 525/इक्कीस–3 (19)–68, दिनांक 19 फरवरी, 1968 के क्रम में, राज्यपाल महोदय राज्य के समस्त राजकीय प्रयोजनों के संबंध में, जो उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत न आते हों, भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग किये जाने की अनुमति देते हैं।

आज्ञा से,
एम0 लाल,
मुख्य सचिव।